शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देवें अधिकारी नशा के खिलाफ जनजागरूकता अभियान रखें जारी

संभाग आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने संभागीय कार्यालय के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान, निर्माण कार्य, जलाशयों में पानी का भराव और प्राथमिक सहकारी समिति गठन के संबंध में जानकारी ली। संभाग आयुक्त राठौर ने कहा कि संभाग के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर ढंग से हो, विद्यार्थियों को स्कूल से किसी प्रकार की शिकायतें न हो, व्यवस्था को बेहतर बनाने शिक्षा विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया कि विभिन्न स्कूलों में निलंबित शिक्षकों को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए उन्हें सेवा में पुनः बहल कर विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के आधार पर स्कूलों में पदस्थ कर उनकी सेवाएं ली जाए। साथ ही विद्यार्थियों एवं ग्रामीणजनों के प्रति बेहतर एवं अनुशासित ढंग से व्यवहार करने की समझाईश दी जाए।

संभाग आयुक्त ने नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा को विभागीय समन्वय से स्कूलों एवं कालेजों में नशा के खिलाफ जनजागरूकता अभियान को जारी रखने निर्देशित किया। इस अभियान के तहत युवा वर्ग को नशे के खिलाफ सचेत किया जाए। उन्होंने सीजीएमएससी एवं निर्माण कार्य एजेंसी विभागों के स्वीकृत एवं प्रगतिरत् कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर संबंधित विभाग को हैण्डओवर करने निर्देशित किया ताकि सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। समीक्षा के दौरान क्रेडा विभाग के अधिकारी ने बताया कि संभाग अंतर्गत सौर सुजला योजना का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। विभिन्न स्थानों में 1300 सौर लैम्प लगाये जा चुके हैं। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि खपरी और मटियामोती जलाशय में जल भराव 100 प्रतिशत हो चुकी है, वहीं तांदुला, खरखरा, मोहड़ सहित अन्य जलाशयों में 80 से 85 प्रतिशत जल भराव हुआ है।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने अवगत कराया कि शासन के मंशानुरूप संभाग के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक सहकारी समिति बनायी जा रही है। अब तक मत्स्य, दुग्ध एवं वनोपज से संबंधित 1330 नवीन समिति बनायी जा चुकी है। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) पदुम लाल यादव एवं उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मोर गांव मोर पानी अभियान में महिलाओं की बड़ी पहल, श्रमदान से बनाए 3360 सोख्ता गड्ढे

महिलाओं ने अपने घरों से की बदलाव की शुरुआत

- ग्रे-वाटर के सुरक्षित प्रबंधन की दिशा में दुर्ग जिले में जनभागीदारी का अनूठा उदाहरण

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे-वाटर यानी घरेलू गंदे पानी के सुरक्षित प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 'मोर गांव मोर पानी' अभियान के तहत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं एवं स्वच्छताग्राहियों द्वारा श्रमदान से 3360 सोख्ता गड्ढों (सोक पिट) का निर्माण किया गया है। अभियान का उद्देश्य घरों से निकलने वाले निस्तारित एवं गंदे पानी को गलियों, रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बहने से रोकना है। इससे गांवों में गंदगी और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के साथ-साथ पानी के प्राकृतिक निस्तारण एवं भू-जल पुनर्भरण को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि 'मोर गांव मोर पानी' अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे-वाटर के सुरक्षित प्रबंधन को लेकर जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं द्वारा स्वयं आगे बढ़कर अपने घरों से इस अभियान की शुरुआत करना ग्रामीण समुदाय के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। इस पहल की खास बात है कि स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने 'नेतृत्व परिवर्तन और स्वयं से शुरुआत' की प्रेरणादायक थीम के साथ अपने घरों से ही अभियान की शुरुआत की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान को अपशिष्ट जल प्रबंधन सप्ताह के रूप में आगे बढ़ाया गया। महिलाओं ने संकल्प लिया कि यदि उनके घरों से निकलने वाला गंदा पानी खुले में बह रहा है, तो वे सबसे पहले अपने घर के आसपास सोख्ता गड्ढे का निर्माण करेंगी। इसके बाद अन्य ग्रामीण परिवारों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया। अभियान पूरी तरह जनभागीदारी और श्रमदान पर आधारित है। स्वच्छताग्राहियों एवं स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने आपसी सहयोग से घरों के आसपास लगभग 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे तैयार किए। इनमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ईंट, पत्थर और कंकड़ आदि सामग्री का उपयोग किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले ने हासिल की बेहतर प्रगति, 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ फसल बीमा

गत वर्ष की तुलना में लगभग 5 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में खरीफ 2026 में 1 लाख 5 हजार 181 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों का बीमा कराया गया है। इस वर्ष की मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा बीमा कंपनी के सहयोग से जिले की ग्राम पंचायतों में सघन फसल बीमा अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले है। धान सिंचित क्षेत्र में 90 हजार 247 हेक्टेयर तथा धान असिंचित क्षेत्र में 13 हजार 862 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा हुआ है। इसके अलावा सोयाबीन में 1 हजार 45 हेक्टेयर तथा अरहर में 27 हेक्टेयर क्षेत्र बीमित हुआ है। सघन अभियान के परिणामस्वरूप खरीफ2026 में धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के बीमा क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गत वर्ष लगभग 1 लाख 186 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा हुआ था, जबकि इस वर्ष 5 हजार हेक्टेयर अधिक अतिरिक्त क्षेत्र को फसल बीमा के दायरे में लाया गया है। खरीफ2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3 लाख 44 हजार 682 ऋणी किसान के आवेदन एवं 5 हजार 600 अऋणी किसान के आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसके माध्यम से लगभग 89 हजार 316 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है। इन किसानों की फसलों के बीमा के लिए कुल 13 करोड़ 40 लाख रूपए प्रीमियम राशि के रूप में बीमा कंपनी को प्राप्त हुई है।

कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए व्यापक प्रचार-प्रसार, किसानों से सीधे संपर्क तथा बीमा कंपनी के मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से किसानों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों और उनके फसल क्षेत्र को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाकर प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले संभावित फसल नुकसान के विरूद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

ओशो मित्र मंडल भिलाई-दुर्ग की नई कार्यकारिणी का गठन, संजय श्रीवास्तव लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित

ओशो उपवन को मेडिटेटिव हब बनाने पर जोर, 21 सदस्यीय इनर सर्किल का भी हुआ गठन

पायनियर संवाददाता < भिलाई-3
www.dailypioneer.com

ओशो उपवन, उम्दा रोड भिलाई-3 में ओशो मित्र मंडल भिलाई-दुर्ग की कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया सर्वसम्मति से संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी डॉ. विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रक्रिया में मंडल के उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से संजय श्रीवास्तव को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकारिणी गठन के दौरान सदस्यों ने संगठन की आगामी गतिविधियों, ओशो उपवन के विकास तथा ध्यान एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने को लेकर भी चर्चा की। सर्वसम्मति से अध्यक्ष के चयन के बाद कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। नई कार्यकारिणी में इन्हें मिली जिम्मेदारी- ओशो मित्र मंडल भिलाई-दुर्ग की नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव उपाध्यक्ष खुशबु वर्मा कोषाध्यक्ष राजा जैन सचिव अशोक डोगरे सहसचिव चेतन साहू मीडिया प्रभारी शंकर नंदी इसके अलावा कार्यकारिणी में पांच सदस्यों को मनोनीत किया गया। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से किया गया। ओशो उपवन को मेडिटेटिव हब बनाने की पहल- कार्यकारिणी गठन के साथ ही बैठक में ओशो उपवन को एक बेहतर 'मेडिटेटिव हब' के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उद्देश्य है कि ओशो उपवन में ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन और ओशो की विचारधारा से जुड़ी गतिविधियों को नियमित एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। इसके साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और भविष्य की योजनाओं पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए 21 सदस्यीय इनर सर्किल का भी गठन किया गया। यह समूह ओशो उपवन तथा ओशो मित्र मंडल की आगामी गतिविधियों और योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यकारिणी गठन के इस अवसर पर ओशो मित्र मंडल भिलाई-दुर्ग के बड़ी संख्या में सदस्य एवं ओशो संन्यासी उपस्थित रहे।

सेमरिया की समस्या पर कलेक्टर की नजर, खबर के बाद तत्काल स्वीकृत हुए दो निर्माण कार्य

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

जिले के जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम सेमरिया में सड़क एवं आवागमन की समस्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अभिजित सिंह ने त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुबे ने जनपद पंचायत धमधा से आवश्यक निर्माण कार्यों का प्राक्कलन प्राप्त किया। प्राक्कलन के परीक्षण एवं निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राम सेमरिया में दो निर्माण कार्यों के लिए कुल 12.05 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत कार्यों में 8.48 लाख की लागत से पुल-पुलिया निर्माण तथा 3.57 लाख की लागत से मिट्टी-मुरूम सड़क निर्माण शामिल है। दोनों कार्यों के पूरा होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा बारिश के दौरान जल निकासी एवं सड़क संपर्क से जुड़ी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद तकनीकी सहायक, सरपंच सुदामनी साहू, रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए तत्काल कार्य प्रारंभ कराने की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर सरपंच सुदामनी साहू एवं ग्रामीण देवेन्द्र सोनी तथा बहलराम ने कार्यों की स्वीकृति एवं तत्काल कार्रवाई के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

राधिका नगर में निगम की चालानी कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वालों से 8,700 वसूले

पायनियर संवाददाता < भिलाईनगर
www.dailypioneer.com

नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक-01, वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर क्षेत्र में स्वच्छता एवं नगर निगम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं रखने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, डस्टबिन नहीं रखने, अनुज्ञप्ति लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन नहीं करने तथा नाली में अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सत्यम चाय नाश्ता से सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700, शाह बुद्धिन किराना स्टोर से ?400, कुसुम जनरल स्टोर से 500 तथा अनिल इडली डोसा सेंटर से 500 का जुर्माना वसूला गया। वहीं बार्बर हेयर कटिंग एवं अनिल डोसा सेंटर में डस्टबिन नहीं पाए जाने पर क्रमशः 400 एवं 200 की चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा सांझ रेस्टोरेंट से अनुज्ञप्ति लाइसेंस संबंधी कार्रवाई के तहत 5,000 तथा सुशील मुखर्जी से नाली में अतिक्रमण पाए जाने पर 1,000 का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 8,700 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग.अलग रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्रतिष्ठान में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें तथा निगम के नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

तहसील साहू संघ पाटन का तीज महोत्सव 6 सितंबर को, महिलाओं के लिए होंगे विविध आयोजन

- महिला आयोग अध्यक्ष सहित प्रदेश और जिला स्तर के जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक पदाधिकारी होंगे शामिल

पायनियर संवाददाता < पाटन
www.dailypioneer.com

तहसील साहू संघ पाटन के संयोजन में महिला प्रकोष्ठ द्वारा पंचम वर्ष का तहसील स्तरीय तीज महोत्सव 6 सितंबर 2026, रविवार को साहू सदन पाटन में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में समाज की मातृशक्ति सहित उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे भक्त माता कर्मा की आरती-पूजा से होगी। इसके पश्चात सुबह 10:30 बजे तीज उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, फुगड़ी प्रतियोगिता, कर्मा माता की रंगोली से चित्रकला प्रतियोगिता, व्यंजन की बघिया, समूह नृत्य, नाट्य प्रदर्शन एवं तीज क्वीन प्रतियोगिता सहित विभिन्न मनोरंजक एवं सांस्कृतिक आयोजन होंगे। दोपहर 1 बजे अतिथियों का आगमन, स्वागत एवं उद्बोधन होगा। शाम 5 बजे पुरस्कार वितरण एवं कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. ममता साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ शासन होंगी। प्रमुख अतिथि रमशीला साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जबकि विशिष्ट अतिथि नंदलाल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिव्या कलिहारी, संयोजिका महिला प्रकोष्ठ, प्रदेश साहू संघ करेंगी।

हथखोज की स्टील इंफा सॉल्यूशन कंपनी में प्राणांतक हादसा, जांच में मिली गंभीर सुरक्षा खामियां

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

हथखोज स्थित मेसर्स स्टील इंफा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड में 19 अगस्त 2026 को हुई प्राणांतक दुर्घटना के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर प्राथमिक जांच की गई। हादसे में सीएनसी हेल्पर राजेश कुमार निर्मलकर (40 वर्ष) की मृत्यु हुई थी। 20 अगस्त को सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, दुर्ग के साथ विभागीय अधिकारियों ने कारखाना पहुंचकर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्राथमिक जांच में कारखाना प्रबंधन की ओर से कई गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि क्रेन का संचालन सक्षम एवं अधिकृत व्यक्ति से कराने के बजाय अनस्किल्ड वर्कर से कराया जा रहा था। क्रेन के संचालन, रखरखाव, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण में निर्धारित सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि आई-बीम, क्रेन की चेन एवं अन्य संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव और नियमित निरीक्षण नहीं किया गया था।

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK

REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given to the public that gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank Ltd. against various loan accounts and remaining overdue/ unredeemed despite repeated notices will be auctioned for recovery of the Bank's dues, in accordance with applicable banking regulations and policies.

DETAILS OF AUCTION

Mode of Auction: Off-line (Physical Auction through Branches)

Date of Auction: 29-09-2026 | **Time:** 11:00 AM to 01:00 PM

Auction Venues: The auction will be conducted at the following ESAF Small Finance Bank branches in **Chhattisgarh**

Interested bidders are requested to visit the respective branches for participation. For detailed branch addresses and contact numbers, please visit the Bank's official website

BRANCH NAME - LOAN ACCOUNT NUMBER

Balod: 63260000387580, 0416027, 75250002366077, 2410705, 2625021, **Bhatapara**: 75260000364796, **Jagdalpur**: 63260000434903, **Bilaspur**: 63260000373206, 0416507, 0428185, 75260000350833, 0421940, 0429196, 0529457, 0615926, 0674073, 0716216, **Chandigarh**: 63260000398469, **Dhamtari**: 75260000600524, 0600684, **Dhamdha**: 75260000567625, 0692668, **Durg**: 75260000410981, 0502138, 0619508, 0693226, 0737216, 0745470, **Bhilai**: 63260000416187, 0419992, 0421467, 75260000419725, 0422828, 0598276, 0611473, 0639240, 0698407, 0698497, 0721626, 0724610, 0771790, **Gariyaband**: 63260000403832, 0434893, 75260000511401, 0536054, 0603998, 0614847, 0643632, 0645738, 0664422, 0669613, 0673165, 0681929, 0688466, 0696031, 0740279, 0769445, 0771320, **Akaltara**: 63260000364894, 75260000367091, 0376974, 0530545, 0571636, 0599874, 0713701, 0719400, 0755641, **Champa**: 75250002232860, 2500326, 2561070, 75260000368659, 0425893, 0534807, 0540746, 0593805, 0663954, 0705586, 0720937, **Shivrinarayan**: 63250001556975, 1581926, 63260000412865, 0419902, 75250002560822, 75260000551935, 0635387, 0664562, 0666928, **Jashpur**: 63260000384856, 0385304, 0388078, 0396333, 0428145, 75260000488433, 0502948, 0505853, 0671048, 0672196, 0679294, 0686900, 0707633, **Kawardha**: 63260000361939, 0412565, 75250002429870, 75260000540736, 0673885, 0741457, **Pakhanjore**: 63260000386542, 0387710, 0408383, 0415359, 0415679, 0425610, 0426918, 0427096, 0431828, 0432076, 75250002493097, 75260000597027, 0742576, **Katghora**: 63250001589052, 75250002587141, 75260000644890, **Korba**: 63260000366280, 0397721, 0417876, 0426488, 0427916, 0436509, 75260000515864, **Baikunthpur**: 75250002240025, 2287755, 2458255, 2579236, 2600728, **Bagbahara**: 75250002402501, 75260000361292, 0459098, 0461604, 0596539, 0601702, 0631945, 0638462, 0648763, 0688636, 0721726, **Mahasamund**: 63260000368056, 0395155, 0395555, 0417446, 75260000371743, 0460476, 0573643, 0621794, 0663244, 0675521, 0686380, 0686880, **Pithora**: 63250001541583, 63260000412315, 0412365, 0414111, 75250002256595, 75260000586388, **Mungeli**: 75250002517225, **Kharsia**: 63260000408723, 0417116, 0427336, 75250002315445, 2324217, 2423271, 2539613, **Raigarh**: 63250001578843, 63260000412185, 0428825, 0429223, 0436519, 75250002253590, 2506285, 2517405, 2563746, 75260000456324, 0719670, 0747666, **Sarangarh**: 63250001510672, 1511350, 7525000 2270417, 2270777, 2290359, 2352104, 2368644, 2513772, 2537436, 2615360, 75260000395957, 0456964, 0532461, 0564070, 0733683, 0771300, **Raipur**: 63250001523267, 63260000416237, 75260000517760, 0582366, 0598766, 0606843, 0613019, 0672926, 0775573, **Donagargarh**: 63250001526722, 63260000398099, 0433745, 75250002249658, 2273552, 2290159, 2309536, 2325395, 2373104, 2410495, 2445049, 75260000527971, 0594843, 0610355, 0629269, 0643932, 0657306, 0748555, 0765102, 0765802, 0768976, 0772018, 0778777, **Rajnandgaon**: 63260000360751, 75260000607071, 0656827, 0674973, 0745200, 0758416, **Ambikapur**: 75260000705476.

Important Instructions: Borrowers may redeem their pledged gold ornaments by clearing the total dues along with applicable charges at least two days prior to the auction date. Interested bidders must carry valid KYC documents. GST Registration Number is mandatory for firms/companies, wherever applicable. Bidders are required to deposit an Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.2,500 before participating in the auction. The auction will be conducted on an **"as is where is"** and **"as is what is"** basis. The Bank reserves the right to cancel/postpone the auction or reject any bid without assigning any reason. Participation in the auction shall be deemed acceptance of all terms and conditions of the Bank. The Minimum Reserve Price will be fixed by bank on the basis of IBJA Rate as applicable on the basis of purity of Gold.

Place: **Thrissur**
Date: **03-09-2026**

(Sd/-) Authorized Signatory
ESAF Small Finance Bank Ltd.

JINDAL

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआईएन - L60231CT2008PLC016434

पंजीकृत कार्यालय: ए–11(7), उदया सोसाइटी, सेक्टर–3, टाटीबंध, धरसीवा, रायपुर–492099, छत्तीसगढ़, भारत

वेबसाइट: www.jindalinfralogistics.com, **ई–मेल:** contactus@jindalinfralogistics.com

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") **गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:30 बजे** ए–1 यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403 (उ.प्र.) में कथित असाधारण आम बैठक में दी गई सूचना के कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। असाधारण आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके पास रिकॉर्ड तिथि, यानी 28 अगस्त 2026 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और अन्य सभी सदस्यों को भौतिक प्रति भेज दी गई है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com पर भी देखे जा सकते हैं।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें।

सदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :

क. दूरस्थ ई–वोटिंग सोमवार, 28 सितंबर 2026 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और बुधवार, 30 सितंबर 2026 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।
ख. दूरस्थ ई–वोटिंग बुधवार, 30 सितंबर 2026 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
ग. दूरस्थ ई–वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 25 सितंबर 2026 है।
घ. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट आफॅ तिथि 25 सितंबर 2026 को शयेर धारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र.) लि., कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी–25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली–110020, फोन 011–26387320–21, फैक्स: 011–26387322, ई–मेल : evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ङ. दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य असाधारण आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं, किंतु उन्हें असाधारण आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
च. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा असाधारण आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्हानें दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है।
छ. सदस्य असाधारण आम बैठक की सूचना में बताए गए ई–वोटिंग के अनुदेश पढ़ें या https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई–वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
आलोक कुमार
कम्पनी सचिव
एसीएस–19819

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2026

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय कैम्प कोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन

पायनियर संवाददाता < दुर्ग
www.dailypioneer.com

नागरिकों के निकट न्याय को पहुंचाने तथा न्यायिक सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भिलाई-3 में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय (कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक) का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने माननीय न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला दुर्ग की गरिमामयी उपस्थिति में भिलाई-3 स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय (कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक), जिला दुर्ग का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भिलाई-3 क्षेत्र में न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक के प्रारंभ होने से क्षेत्र के नागरिकों को न्यायिक कार्यवाहियों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं निकटस्थ न्यायिक मंच उपलब्ध होगा। उद्घाटन तत्पश्चात् न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति ने अपने उद्बोधन में न्यायिक सेवाओं के विस्तार से जोड़ते हुए अपने विचार व्यक्त किए। भिलाई-3 में न्यायिक सुविधाओं का यह विस्तार न्याय वितरण प्रणाली में सुगमता, पहुंच एवं नागरिक-केंद्रित न्याय की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। विशेष रूप से, परिवार न्यायालय कैम्प कोर्टद-अतिरिक्त बैठक के प्रारंभ होने से पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों में संलग्न पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणमान्य अतिथियों के आगमन के साथ हुआ। तत्पश्चात के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि भिलाई-तीन एक महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विविध प्रकार की विधिक आवश्यकताएं हैं। समर्पित न्यायालयों की स्थापना के पीछे की परिकल्पना एवं मार्गदर्शक विचार माननीय मुख्य न्यायाधिपति के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से अत्यधिक प्रेरित रहे हैं। अतः भिलाई-तीन में न्यायालयों की स्थापना, अधिक सुगम, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति की परिकल्पना का प्रतिबिंब है। वर्चुअल उद्घाटन के तत्काल पश्चात् भिलाई-3 में प्रारंभ किए जा रहे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय (कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक) से संबंधित एक संक्षिप्त वीडियो प्रदर्शित किया गया। वीडियो के माध्यम से प्रस्तावित न्यायिक सुविधा तथा उसकी प्रकृति की एक झलक उपस्थितजनों के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह प्रस्तुति केवल एक नई न्यायिक सुविधा के संबंध में जानकारी मात्र नहीं थी, बल्कि यह न्याय वितरण प्रणाली को लोगों के और अधिक निकट लाने की दिशा में एक नई शुरुआत का दृश्यात्मक परिचय भी बनी।